तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 112/16 रंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल उपस्थित। रेस्पोडेण्ट नं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नही। राजकीय अधिवक्ता उप0। वकील प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त दिनांक 10.08.2010 की जानकारी नही देने के कारण प्रार्थी दिनांक 10.08.2010 को उपस्थित नही हो पाया जिसके कारण प्रार्थी की अपील अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारिज कर दी गई। अतः प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर सुनवाई की जाने हेतु निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी द्वारा लगभग 6 वर्षों के उपरान्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि निराधार है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के निर्णय दिनांक 23.03.2010 के विरूद्ध एक अपील पेश की गई थी जो बाद में दिनांक 10.08.2010 को अदम हाजरी में खारिज की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा पुनः न्यायालय को गुमराह करने के नियत से एक अन्य अपील उसी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पेश कर दी गई जिसको न्यायालय द्वारा एक अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दो भिन्न अपीलें पेश करने पर दिनांक 15.11.2016 को खारिज फरमा दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज फरमाया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनाक 23.03.2010 के विरूद्ध अपील संख्या 21/2010 प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 10.08.2010 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये थे एवं इसी अपीलाधीन आदेश के विरूद्व एक अन्य अपील संख्या 83/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.11.2016 को अनभिज्ञता के कारण न्यायहित में विड्रा की अनुमति देकर खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। पुनः अपीलांट द्वारा लगभग 6 वर्षों पश्चात बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लेने बाबत् निवेदन किया है। हम समझते हैं कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष एक अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दो अपीलें पेश करना तत्पश्चात् 6 वर्ष पश्चात बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है (Misuse of process of law) है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन अस्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि: प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (डॉ. गिरीश पाराशर) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner